

12/12/25

Not Press
12/15

कमज यह फावली वकील सापलान के प्रकीर्ण
पर परतलव हुई। वकील सापलान ने प्रकीर्ण
पर में अंकित किया है कि फावली के मध्य
लोक अदालत की भावना से राजीनामा हो
गया है। इसलिए मुकदमा की चलाक नहीं
चाहते हैं। तथा नोट प्रेस में खारिज कराने
का निर्देशन किया।

कतः मु० नं० 215/2025 उनका नौ
बाबूलाल वर्मा वगैरह मंगली लाल वर्मा
प्र० पर अस्वाधी निषेधाज्ञा Not Press
में खारिज किया जाता है तथा उक्त प्रकरण
में दि० 12/11/2025 को जारी अन्तरिम स्वयं
आदेश विद्ध्ये किम जाते हैं फावली
फौजल सुभार होकर वाड वकील
नम्बर से कम की जाकर मूल डाका के
साथ शामिल प्रिसल रहे।

आदेश खुले न्यायालय में सुनाया

गया/

हिण्डान सिदी (कौली)